

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

स्थान माधवलाल विपक्षी अमर
 रस मुकदमा 188/25/25 पत्रावली संख्या 73/18 वर्ग

क्र.सं.	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p><u>17/12/24</u> पत्रावली पेश हुई। आदि. उमर पत्रा. उप.। जवाब उल जवाब पूर्व में पेश किया जा चुका है रस प्रकरण में वारंट आवाजीगत एवं एक अन्य प्रकरण 49/21 उनवान अमरनन्द वनाम गौड़ा में ती उक्त आवाजीगत ही केने प्रकरण में पक्षकार ती समान ही केने प्रकरण में वारंट आवाजीगत पूर्व में लाभकारी थी। पक्षकार ती एक ही परिवार के सदस्य हैं केनी अवस्था में केने प्रकरणों को समाप्त कर एक साथ निर्णय किया जाना उचित होगा। अतः प्रकरण संख्या 49/21 उनवान अमरनन्द वनाम गौड़ा को रस प्रकरण के साथ समाप्त कर निर्णय के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली वास्तव कामनी तनकीमत दिनांक <u>13/02/25</u> को पेश है।</p> <p style="text-align: right;"><i>hm</i></p>	
	<p><u>13/02/25</u></p> <p>पत्रावली आज पेश हुई। उक्त उमर पत्रा उप.। आदि. उमर पत्रा द्वारा दस्तावेजात प्रस्तुत करके छा अवसर माह। पत्रावली वास्तव पेश होने दस्तावेजात। कामनी तनकीमत दिनांक <u>24/04/25</u> को पेश है।</p> <p style="text-align: right;"><i>hm</i></p> <p><u>24/04/25</u> कामनी तनकीमत वकूलाय मादी/प्रतिवादी उप. के लिये मौका चाहते है। अतः <u>18/06/25</u> अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. <u>18/06/25</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>hm</i> (SDC) मावली</p>	



12/6/25
 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप.।
 उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का
 बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य
 स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/
 भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश
 के क्रम में दिनांक 11/8/25 को पेश हो।
 B10
 5

11/8/25
 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप.।
 उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का
 बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य
 स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/
 भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश
 के क्रम में दिनांक 18/8/25 को पेश हो।
 B10
 5

Note
 परस
 कल्याण
 18/8/25

सु.नं. 49/2021 वादपत्र
 पृष्ठक से निवारण के लिये
 काउन्सिल के समानुसार
 उद्देश्य की वजह से
 कुल 7348 वादपत्र को
 नम्बर से कम की जायेगा
 जो कि कोर्ट आपत्ति नहीं रखे
 सु.नं. 49/2021 वादपत्र को
 निवारण के लिये

Handwritten signature/initials

18/08/25 पत्रावली पेश हुई। अधिव. उपाय
 पक्षकारान उप.। अधि. वकील द्वारा
 वाद पर "Not press plead" करते
 हुए निवेदन किया की वाद पत्र को
 आगे नहीं चलाया जाये वसी स्तर
 पर खारिज किया जाये अधि. उपाय
 द्वारा निवेदन किया की इस प्रकार
 में प्रतिवादीगण का का. 3022 वाद
 ही तथा अन्य प्रकार से 49/2021
 प.सं. 1 द्वारा प्रस्तुत किया गया है
 का. 3022 वाद एवं अन्य प्रकार में
 एक समान अनुतोष चाये गया है
 इस कारण से इस प्रकार को
 हिसल करते हुए अन्य प्रकार
 संख्या 49/21 जारी रखा जाना
 है तो उन्हें कोर्ट आपत्ति नहीं है
 कि अधिवक्ता वकील वाद को आगे
 नहीं चलाया जाये है प्रतिवादी का
 का. 3022 वाद से संबंधित अधि.
 प्रकार विचार ही न ही वेस में
 इस प्रकार को जारी रखने का कोर्ट
 आपत्ति नहीं है अधि. वाद वकील
 सं. 1 का का. 3022 वाद खारिज किया
 जाये पत्रावली हिसल सुमार टोकर
 से कम है
 मीटिंग करे है जलास सुनाया गया।



सहायक कलक्टर
 (फास्ट ट्रेक) मावली